

**\*प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-\***  
**\*(पत्रांक-240/2025 दिनांक 28.08.2025)\***  
**\*दिनांक-28.08.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस**  
**द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-\***

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध एवं वांछित/वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.08.2025 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए कुल 70 वांछित/वारण्टियों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वांछित/वारण्टीगण-

|                 |    |
|-----------------|----|
| कोतवाली हाटा-   | 05 |
| कसया-           | 07 |
| कप्तानगंज-      | 08 |
| अहिरौली बाजार-  | 03 |
| खड्डा-          | 01 |
| हनुमानगंज-      | 01 |
| नेबुआ नौरंगिया- | 02 |
| रामकोला-        | 09 |
| कोतवाली पडरौना- | 06 |
| जटहां बाजार-    | 03 |
| कुबेर स्थान-    | 01 |
| तुर्कपट्टी-     | 02 |
| विशुनपुरा-      | 07 |
| बरवापट्टी-      | 01 |
| सेवरही-         | 03 |
| तरया-           | 08 |
| पटहेरवा-        | 02 |
| चौराखास-        | 01 |
| सम्पूर्ण योग-   | 70 |



**अपहरण, मानव तस्करी और जबरदस्ती शादी कर दुष्कर्म के मामले में  
वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री निवेश कटियार के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी खड्डा श्री उमेश चन्द्र भट्ट के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे हैं अभियान के क्रम में दिनांक 28.08.2025 को थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा थाना नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र से मु0अ0सं0 164/2025 धारा 137(2) बीएनस व बढ़ोत्तरी धारा 143/87/64/115(2)/61(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1- रवि पुत्र सुरेश चन्द्र सा0 काशीराम आवास कालोनी थाना बिजनौर सिटी जनपद बिजनौर 2-विरेन्द्र चौहान पुत्र रामनरेश चौहान निवासी नरायणपुर थाना खड्डा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **पूछताछ का विवरण -**

पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त वीरेंद्र चौहान पीड़िता गुंजना को काफी दिनों से जानता था। उसने पीड़िता को प्रेम जाल में फंसाकर बहला-फुसलाकर गोरखपुर बुलाया और अभियुक्त राजेश के माध्यम से बिजनौर निवासी रवि पुत्र सुरेश चंद्र को 70,000 रुपये में बेच दिया। रवि ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती शादी कर शारीरिक संबंध बनाए और विरोध करने पर उसे मारा-पीटा। प्रकरण में शामिल अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है।

### **पंजीकृत अभियोग-**

मु0अ0सं0 164/2025 धारा 137(2) बीएनस व बढ़ोत्तरी धारा 143/87/64/115(2)/61(2) बीएनएस थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

### **गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

1-रवि पुत्र सुरेश चन्द्र सा0 काशीराम आवास कालोनी थाना बिजनौर सिटी जनपद बिजनौर  
2-विरेन्द्र चौहान पुत्र रामनरेश चौहान निवासी नरायणपुर थाना खड्डा जनपद कुशीनगर

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1-थानाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर



- 2-उ०नि० विकाश मौर्या थाना ने०नौ० जनपद कुशीनगर
- 3-का० जानसन गौड़ थाना ने०नौ० जनपद कुशीनगर
- 4-का० राहुल यादव थाना ने०नौ० जनपद कुशीनगर
- 5-का० ओमप्रकाश यादव थाना ने०नौ० जनपद कुशीनगर

**थाना तुर्कपट्टी पुलिस द्वारा दुष्कर्म आदि मुकदमे में वांछित एक नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-**

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.08.2025 को थाना तुर्कपट्टी पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 248/2025 धारा 137(2)/64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त आलोक सिंह पुत्र दिनेश सिंह निवासी ग्राम पटखौली थाना पटहेरवा जिला कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पंजीकृत अभियोग-**

मु०अ०सं० 248/2025 धारा 137(2)/64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना तुर्कपट्टी कुशीनगर

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

आलोक सिंह पुत्र दिनेश सिंह निवासी ग्राम पटखौली थाना पटहेरवा जिला कुशीनगर

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1. थानाध्यक्ष श्री स्वतंत्र कुमार सिंह थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर
2. उ०नि० श्री राहुल कुमार थाना तुर्कपट्टी कुशीनगर

**एक अदद कार वाहन से तस्करी कर बिहार राज्य हेतु ले जायी जा रही 10 पेटी देशी शराब ( वाहन सहित कुल कीमत लगभग 5,20,000/- रु०) के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-**

जनपद कुशीनगर में अवैध शराब विक्री/ निष्कर्षण/परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज 28.08.2025 को थाना तरया सुजान पुलिस की टीम द्वारा थाना तरयासुजान क्षेत्र से चेकिंग के दौरान 01 नफर अभियुक्त रंजीत पाल पुत्र दिनेश पाल सा० सहोदर पट्टी थाना महुवाडीह जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अदद मारूती सुजकी SX4 कार से बिहार राज्य हेतु ले जायी जा रही 10 पेटी में कुल 450 पाउच देशी बंटी बबली शराब की बरामदगी की गयी। बरामदगी



व गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 273/2025 धारा 60/72आ0अधि0 थाना तरयासुजान  
जनपद कुशीनगर

### गिरफ्तार अभियुक्त-

1-रंजीत पाल पुत्र दिनेश पाल सा0 सहोदर पट्टी थाना महुवाडीह जनपद  
देवरिया

### बरामदगी का विवरण-

- 1-10 पेटी कुल 450 पाउच देशी बंटी बबली शराब ( कुल मात्रा 90 ली0  
(कुल कीमत लगभग 20,000/- रु0)
- 2-एक अदद मारूती सुजकी SX4 रंग सिल्वर कार जिसका चेचिस नं0  
MA3EFJC1S00167318 (कुल कीमत लगभग 5,00000/- रुपये)

### गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1-उ0नि0 अंकित सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 2-का0 रामनिवास यादव थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 3-का0 विशाल सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 4-का0 सुनील यादव थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 5-का0 विपिन पाण्डेय थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
- 6-का0 गिरीश कुमार थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

### \*शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-\*

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 22 नफर अभियुक्तों  
को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत  
आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

### \*कार्यवाही एक नजर में=\*

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-29  
वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-33, व्यक्ति-103
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(70)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-92)

### \*सोशल मीडिया सेल\*

\*जनपद कुशीनगर\*



Edit with WPS Office